रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2016/वैशाख 9, 1938
No. 165] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2016/VAISAKHA 9, 1938

IndiaCode

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

फा. सं. एफ 1-61/एफएसएसएआई/संव्य.कारबार सीएसी/आरईजी/2015.-भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार का संव्यवहार की प्रक्रिया) विनियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. 1-61/एफएसएसएआई/संव्य.कारबार सीएसी/आरईजी/2015 तारीख 4 नवंबर, 2015, द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की समाप्ती से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ, जनता को 12 नवंबर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (5) के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार का संव्यवहार की प्रक्रिया) विनियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार का संव्यवहार प्रक्रिया) पहला संशोधन विनियम, 2016 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार का संव्यवहार प्रक्रिया) विनियम, 2010 में, विनियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"14. **व्ययों की प्रतिपूर्ति**: (1) केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक दिन या उसके भाग के लिए चार हजार रुपये की बैठक फीस के हकदार होंगे:

परंतु राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त या कोई अन्य सदस्य जो सरकार की सक्रिय सेवा में है या कोई परा राज्यिक अपने अपने नियोजक से अपने यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते का दावा करने के हकदार होंगे ।

(2) अन्य सदस्य वार्षिक यात्रा भत्ता और निर्वाह खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए भी हकदार होगा ।"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./47]

टिप्पण - मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना सं. 1-61/एफएसएसए/2009-डीएफक्यूसी, तारीख 4 मार्च, 2011 में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात उन्हें 1-62/एफएसएसए/2014-डीएफक्यूसी, तारीख 12 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित किया गया।

IndiaCode

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April , 2016

F. No. F.1-61/FSSAI/Tr.Business CAC/Reg/2015.– Whereas the draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2010, was published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. F.1-61/FSSAI/Tr.Business CAC/Reg/2015 dated the 4th November, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 12th November, 2015;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (5) of section 11 of the said act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2010, namely:-

REGULATIONS

1. **Short title and commencement.** – (1) These regulations may be called The Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) First Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2010, for regulation 14, the following regulation shall be substituted, namely:-

"14. Reimbursement of expenses.- (1) The Members of the Central Advisory Committee shall be entitled to a sitting fee of four thousand rupees for each day or part thereof for attending each meeting: Provided that the Commissioner of Food Safety of the States or Union territories or any other member who is in active service of the Government or a parastatal shall be entitled to claim their travel allowance and dearness allowance from their respective employer,

(2) The other member shall be entitled to reimbursement of actual travel and subsistence expenses."

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.III/4/Exty./47]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F.No. 1-61/FSSA/2009-DFQC, dated the 4th March, 2011 and subsequently amended vide F.No. 1-62/FSSA/2014-DFQC, dated the 12th March, 2015.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.